एस0एन0डी0 / आयोजनागत

1870
संख्या:1698 / XXVIII(1)–2004–142 / 2004

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल,देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून:दिनांक 15 फरवरी,2005

विषय– राजकीय चिकित्सालय–बिहारीनगर,हरिद्वार एंव राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय,खाण्ड,उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 8696/नि–1/ दिनांक 14.10.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय–बिहारीनगर,जनपद हरिद्वार एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खाण्ड जनपद उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु (टी0ए0सी0) द्वारा अनुमोदित आगणन रू. 12.10+07.36 लाख अर्थात कुल रुपये 19.46 लाख) (रू. उन्नीस लाख छियालिस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु क्रमशः रू. 12.10 लाख एवं रू.07.36 लाख अर्थात कुल रू. 19.46 लाख (रू.उन्नीस लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा एंव स्वीकृत मानक से अधिक किसी भी दशा में न होगा, धनराशि का आहरण भूमि का कब्जा मिलने पर किया जायेगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखने एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करालें निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9.उक्त में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या 12 के लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–800–अन्य व्यय–91– जिला योजना–9101–राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या1033/वि0 अनु0–2/2004–05 दिनांक 07.02.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अतर सिंह)
उप सचिव।

1870
संख्या-1883(1)XXVIII(1)–2004–142/2004तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी,उत्तरकाशी/हरिद्वार उत्तरांचल।
4. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण,देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
6. गार्ड फाईल/एन.आई.सी./कम्प्यूटर (प्रभारी कक्ष)।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

14020502-Pal